बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।

अल्पकालीन निविदा सूचना
सं० 03/2022–23

1. विभाग का नामः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार।
2. विज्ञापनदाता का नाम एवं पताः निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।
3. परिमाण विपत्र की बिक्री की तिथि एवं समयः 13–09–2022 को 5.00 बजे अपराह्न तक।
4. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समयः 14–09–2022 को 2.00 बजे अपराह्न तक।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समयः 14–09–2022 को 3.00 बजे अपराह्न।
6. प्री–बिड मीटिंग : 06–09–2022 को 3.00 बजे अपराह्न।
(निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के कार्यालय में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	परिमाण विपत्र का मूल्य	अग्रधन (सत्यंकार) राशि।
1	संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, में दिनांक 01–10–2022 से 30–09–2027 तक 05 बैट्रीचालित वाहन (10–12 सीटर) एवं 06 बैट्रीचालित गोल्फ कार्ट (6 सीटर) का परिचालन।	रू० 2000/– (दो हजार) प्रति।	रू० 1,00,000/– (एक लाख रूपये)

निविदा के नियमों, शर्तों एवं विशेष जानकारी के लिये अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्यावधि में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा वेबसाईट 'www.forest.bih.nic.in'/ www. Zoopatna.com. पर देखा जा सकता हैं।

(सत्यजीत कुमार)
निदेशक।

पैसे के बल पर काम कराना, अपराध है। काम सही हो तो मुफ्त होगा।

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, में दिनांक 01—10—2022 से 30—09—2027 तक कुल पाँच वर्षों के लिए 05 बैट्रीचालित वाहन (10—12 सीटर) एवं 06 बैट्रीचालित गोल्फ कार्ट (6 सीटर) के परिचालन हेतु निर्धारित नियम एवं शर्तें।

1. संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, में दिनांक 01—10—2022 से 30—9—2027 (पाँच वर्षों) तक 05 बैट्रीचालित वाहन (10—12 सीटर) एवं 06 बैट्रीचालित गोल्फ कार्ट (6 सीटर) के परिचालन हेतु दिनांक 14—09—2022 के 2.00 बजे अपराह्न तक निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में विहित प्रपत्र में मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदाकर्ता 'तकनीकी बिड' तथा 'वित्तीय बिड' दो अलग—अलग लिफाफों में डालकर एवं सीलबंद कर दोनों लिफाफों को एक अलग लिफाफे में डालकर सीलबंद करेंगे। तकनीकी बिड के लिफाफे पर 'तकनीकी बिड' तथा उसपर अपना नाम एवं पता अंकित करेंगे। उसी प्रकार 'वित्तीय बिड' के लिफाफे पर 'वित्तीय बिड' लिखकर अपना नाम एवं पता अंकित करेंगे। मुख्य लिफाफा जिसके अन्दर 'तकनीकी बिड' तथा 'वित्तीय बिड' के दोनों लिफाफे रहेंगे उसपर ''बैट्रीचालित वाहन एवं बैट्रीचालित गोल्फ कार्ट के लिए निविदा'' अंकित कर अपना नाम, पत्राचार का पता एवं मोबाईल नम्बर अंकित करेंगे।

2. प्राप्त निविदाओं का 'तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड' दिनांक 14—09—2022 को 3.00 बजे अपराह्न में निविदाकर्त्ताओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष निदेशक कार्यालय में निविदा समिति द्वारा खोले जायेंगे। यदि कोई निविदाकर्त्ता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय उपस्थित नहीं होते हैं तब भी निविदा मान्य समझा जायेगा। **तकनीकी बिड में सफल निविदाकर्त्ताओं का ही वित्तीय बिड खोला जायेगा।** विशेष परिस्थितिवश तिथि एवं समय में बदलाव किया जा सकता है।

3. निविदा का प्रपत्र, नियम एवं शर्तों की प्रति निदेशक कार्यालय से रूपये 2000/— (रूपये दो हजार) (जो लौटाया नहीं जाएगा) प्रति की दर से दिनांक 13—09—2022 के अपराह्न 5.00 बजे तक कार्यावधि में प्राप्त किया जा सकता है।

(क) निविदाकर्त्ता द्वारा तकनीकी बिड के साथ समर्पित किये जाने वाले कागजातः—

I- निविदादात्ता द्वारा क्रय किए गए निविदा प्रपत्र से संबंधित मनी रसीद की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति। निविदा प्रपत्र वेबसाईट से अपलोड करने की स्थिति में निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में रू० 2000/— का डिमांड ड्राफ्ट। यह राशि अप्रत्यपर्णीय है।

II- निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में रू० 1,00,000/—(रूपये एक लाख) अग्रधन राशि (सत्यंकार राशि) का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट जो पटना में भुगतेय हो।

III- पैन कार्ड की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।

IV- जी०एस०टी० निबंधन का स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।

V- विगत दो वर्षों 2020—21 एवं 2021—22 के आयकर रिटर्न की स्वःअभिप्रमाणित छायाप्रति। (मूल प्रति तकनीकी बिड खोलने के समय प्रस्तुत करना होगा)।

VI- किसी पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेट से अभिप्रमाणित परिसम्पति (Capital asset) जो न्यूनतम रू० 50.00 लाख का हो।

VII- पता और पहचान से संबंधित प्रमाण—पत्र की स्वःअभिप्रमाणित छायाप्रति। (मूल प्रमाण—पत्र तकनीकी बिड खोलने के समय प्रस्तुत करना होगा)।

VIII- राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निविदाकर्त्ता का अभिप्रमाणित हस्ताक्षर।

IX- फर्म के नाम पर निविदा समर्पित करने की स्थिति में निविदाकर्त्ता के लिए फर्म का प्राधिकार—पत्र की मूलप्रति।

X- सरकारी/गैर सरकारी संस्थान के काली सूची में निविदादाता का नाम दर्ज होने/ न होने संबंधी घोषणा—पत्र।

नोटः— कम्पनी/एजेंसी के नाम पर निविदा समर्पित किए जाने की स्थिति में सभी दस्तावेज कम्पनी/एजेंसी के होने चाहिए। व्यक्ति विशेष द्वारा निविदा समर्पित किए जाने की स्थिति में सभी दस्तावेज संबंधित व्यक्ति के होने चाहिए।

कृ०पृ०उ०

(ख) वित्तीय बिड

निविदादार्ता, क्रय किए गए निविदा प्रपत्र के वित्तीय बिड पर ही साफ–साफ अक्षरों में बैट्रीचालित वाहन के परिचालन हेतु राजस्व के रूप में संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को भुगतान किए जाने वाले प्रतिमाह का अपना दर (लाईसेंस फी) अंकित करेंगे जो अंक एवं शब्द दोनों में होना चाहिए। उनके द्वारा अर्पित दर में सभी प्रकार का कर सम्मिलित होगा।

(क) अर्पित एवं स्वीकृत दर पर अगले वर्ष 10% राशि की वृद्धि की जाएगी एवं उसके अगले वर्ष कुल राशि (स्वीकृत दर एवं वृध्यात्मक राशि) पर 10% राशि की वृद्धि की जाएगी जिसका भुगतान सफल निविदाकर्त्ता को करना होगा।

(ख) उद्यान में गाड़ियों की पार्किंग तथा जलापूर्ति व्यवस्था के उपयोग हेतु लाईसेंस फी के अतिरिक्त अलग से प्रतिमाह रू० 70,000/– (रूपये सत्तर हजार) का भुगतान सफल निविदाकर्त्ता को निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में बैंक ड्राफट/डिमांड ड्राफट के माध्यम से करना होगा।

(ग) संचालक को बैट्रीचालित वाहन तथा बैट्रीचालित गोल्फ कार्ट की व्यवस्था तथा संचालन की व्यवस्था स्वंय करनी है। वे अपनी गाड़ी की बैट्री उद्यान में चार्ज कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें बिजली खपत का अलग से भुगतान एच.टी. कनेक्शन के दर के अनुरूप प्रत्येक माह की 5 तारीख तक करना अनिवार्य होगा अन्यथा बिजली आपूर्ति बंद कर दी जायेगी जिसके लिए सफल निविदाकर्त्ता स्वंय जिम्मेवार होंगे। बिजली खपत का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक से **केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में** 'साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के नाम में करना होगा।

अन्य शर्तें:–

4. यदि दो या अधिक निविदाकर्त्ता के द्वारा एक ही दर अर्पित किया जाता है तो निविदा का निर्णय पर्ची निकाल कर किया जाएगा।

5. सफल निविदाकर्त्ता को निविदा की स्वीकृति की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर रू० 1000/– (एक हजार रूपये) के नन्–जूडिशियल स्टाम्प पेपर स्वंय लाकर एकरारनामा (एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करना होगा। निविदा का नियम एवं शर्त, एकरारनामा का अंश होगा।

6. निविदा की स्वीकृति की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर जमानत की राशि के रूप में कुल वाहनों के लाईसेंस फी की एक वर्ष की कुल राशि की 25% (पचीस प्रतिशत) राशि जमा करना होगा जो राष्ट्रीयकृत बैंक के एस०टी०डी०आर०/टी०डी०आर० के रूप में होगा एवं निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में प्लेज्ड होना चाहिए। जमानत राशि के रूप में बैंक गारंटी मान्य नहीं होगा। कार्य के सफल समापन के उपरांत ही जमानत राशि वापस की जाएगी।

7. सफल निविदाकर्त्ता को वाहन परिचालन से पूर्व एक माह का अग्रिम राशि (लाईसेंस फी) निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में बैंक ड्राफट/डिमांड ड्राफट के माध्यम से जमा करनी होगी। एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने, जमानत राशि एवं एक माह का अग्रिम राशि (लाईसेंस फी) जमा करने के उपरान्त ही सफल निविदाकर्त्ता को वाहन परिचालन की अनुमति दी जायेगी। यदि सफल निविदाकर्त्ता निर्धारित तिथि तक एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने, जमानत राशि एवं एक माह का अग्रिम राशि जमा करने में विफल रहते हैं तो उनके द्वारा जमा की गयी सत्यांकार (अग्रधन) राशि राज्यसात कर ली जायेगी।

8. यदि सफल निविदाकर्त्ता द्वारा कंडिका–7 का उल्लंघन किया जाता है तो वैसी स्थिति में प्रथम सफल निविदाकर्त्ता के सत्यंकार राशि (अग्रधन) को राज्यसात कर कृष्णचिन्हित किया जाएगा तथा द्वितीय निविदाकर्त्ता को कार्य सौंपे जाने पर विचार किया जा सकता है।

9. सफल निविदाकर्त्ता को प्रत्येक माह निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में बैंक ड्राफट/डिमांड ड्राफट के माध्यम से अग्रिम लाईसेंस फी 10 तारीख तक भुगतान करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रतिमाह 10 तारीख के बाद भुगतान करने पर 3% वृध्यात्मक (incremental) शुल्क के साथ भुगतान करना अनिवार्य होगा। दो माह तक लाईसेंस फी जमा नहीं किए जाने की स्थिति में संचालक के

द्वारा जमा प्रतिभूति/जमानत राशि से लाईसेंस फी की वसूली करने, निविदा रद्द करने तथा कृष्णचिन्हित करने का अधिकार निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को होगा। इसके अतिरिक्त यदि संचालक के विरूद्ध कोई राशि बकाया रह जाता है तो नीलाम–पत्र मुकदमा दर्ज कर ब्याज सहित राशि की वसूली की कार्रवाई की जायेगी।

10. उद्यान प्रशासन आवश्यकतानुसार (प्रोटोकॉल, आकस्मिक एवं अन्य आवश्यक गतिविधियों हेतु) वाहनों को निःशुल्क अपने प्रयोग में कभी भी ले सकेगा जिसका अनुपालन सफल निविदाकर्त्ता को करना होगा।

11. सरकार को देय सभी तरह के वैधानिक करों यथा आयकर, जी.एस.टी. इत्यादि/देयताओं का भुगतान सफल निविदाकर्त्ता (संचालक) को अलग से करना होगा जिसकी जिम्मेवारी संचालक की होगी।

12. संचालक को पार्किंग साफ–सुथरा रखना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो जुर्माना के भागी होंगे एवं एग्रीमेंट को रद्द कर दिया जाएगा। इस संबंध में निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं संचालक को मान्य होगा।

13. संचालक को दोनों प्रवेश द्वार के निकट तथा बुकिंग काउन्टर के निकट **दो–दो बड़े साईज के पट्ट पर दर तालिका** लगाना होगा जिसपर निर्धारित दर दर साफ–साफ अंकित करना होगा।

14. शारीरिक रूप से अशक्त/दिव्यांग व्यक्तियों को संचालक को सुविधा देनी होगी, रैम्प बनवाना होगा तथा उसी अनुरूप गाड़ी में बदलाव करना होगा ताकि वे गाड़ी में आराम से चढ़–उतर सकें।

15. संचालक को बुकिंग काउन्टर एवं गाड़ी में ब्रेल लिपि की सुविधा देनी होगी।

16. संचालक को टिकट बुकिंग काउन्टर तथा बुकिंग काउन्टर के निकट यात्रियों के लिए ईको–फ्रेंडली (बाँस से निर्मित) प्रतीक्षालय/शेड का निर्माण निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना से अनुमति प्राप्त कर चिन्हित स्थल पर कराना होगा।

17. वाहन संचालन के लिए संचालक को प्रशिक्षित चालकों को रखना होगा।

18. वाहनों के आकार/प्रकार में भिन्नता होनी चाहिए तथा सभी वाहन आकर्षक होने चाहिए।

19. निदेशक के द्वारा निविदा पूर्व दिनांक **06–09–2022 को 3.00 बजे अपराह्न प्री–बिड मीटिंग** की जाएगी जिसमें ईच्छुक व्यक्ति भाग ले सकेंगे।

20. सफल निविदाकर्ता, वाहन का उपयोग करने वाले आगंतुकों को निर्धारित दर पर ई–टिकट जारी करने के लिए बुकिंग काउन्टर पर ई–टिकटिंग मशीन स्थापित करेंगे एवं अपना कर्मचारी रखकर इसका संचालन करेंगे। संचालक द्वारा रखे गये सभी कर्मचारियों का पूरा पता निदेशक कार्यालय में देना होगा तथा उनके प्रत्येक गतिविधि की जिम्मेवारी संचालक की होगी। संचालक अपने कर्मी की पहचान के लिए अपने स्तर से उन्हें वर्दी देंगे। बिना वर्दी के कोई कर्मचारी उद्यान के अन्दर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

21. सफल निविदाकर्त्ता को निर्धारित मार्ग एवं निर्धारित शुल्क पर वाहन/गोल्फ कार्ट का परिचालन प्रातः 9.00 बजे से संध्या 5.00 बजे तक करने की अनुमति होगी। **Route Chart तथा किराया संरचना (संचालक द्वारा दर्शकों से लिए जाने वाले परिवहन शुल्क) इस निविदा शर्त के साथ संलग्न है।** निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को यह अधिकार होगा कि वे Route Chart में बदलाव कर दें। निविदा अवधि में निर्धारित किराया (शुल्क) संरचना में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली, गंदगी की शिकायत, चालक के अनुशसहीनता, दर्शकों से दुर्व्यवहार इत्यादि की शिकायत प्राप्त होने पर संचालक दण्ड के भागी होंगे। प्रत्येक शिकायत के लिए दण्ड की राशि न्यूनतम रू० 8000/– (आठ हजार रूपये) होगी।

22. किसी भी शर्त्त के उल्लंघन पर बिना किसी मुआवजे के किसी भी समय निविदा/एकरारनामा को रदद करने का अधिकार निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को सुरक्षित रहेगा।

कृ०पृ०उ०

23. संचालक अपनी गाड़ी का परिचालन दर्शकों के अवागमन में बिना किसी विघ्न के सुरक्षित और धीमी गति से करेंग। किसी भी दुर्घटना, चालकों के आचरण या वाहन के संचालन में यात्रियों/आगंतुकों को नुकसान के लिए संचालक स्वंय जिम्मेवार होंगे।

24. संचालक को उद्यान के सभी नियमों का पालन करना होगा। संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना 'पॉलीथीन निषिद्ध' क्षेत्र हैं। अतः सफल निविदाकर्त्ता अथवा उनके कर्मी, पॉलीथीन, थर्मोकोल/स्टैरोफोम के प्लेट्स, ग्लास इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे। साथ ही सफल निविदाकर्त्ता एवं उनके कर्मी को उद्यान में प्रतिबंधित सामग्री यथा बीड़ी, सिगरेट, खैनी, मांस, मछली एवं मदिरा का उपयोग नहीं करेंगे।

25. संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना silence zone घोषित है। अतः संचालक अथवा उनके कर्मी किसी तरह का शोर–गुल नहीं करेंगे और न ही अपनी गाड़ी में ध्वनि/म्यूजिक का उपयोग करेंगे।

26. सफल निविदाकर्त्ता, निविदा अवधि (तीन वर्ष) के बीच में बिना कोई ठोस कारण के आवंटन रद्द कराने अथवा संचालन करने से इंकार नहीं करेंगे। यदि सफल निविदाकर्त्ता/संचालक द्वारा किसी अन्य कारणवश आवंटन रद्द कराने तथा संचालन करने से इंकार किया जाता है तो वैसी परिस्थिति में संचालक को कम से कम दो माह का पूर्व/अग्रिम सूचना निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को देना बाध्यकारी होगा। वैसी परिस्थिति में संचालक द्वारा जमा प्रतिभूति राशि/जमानत राशि की विमुक्ति पर निविदा समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा जो अन्तिम होगा तथा संबंधित संचालक को मान्य होगा।

27. प्रत्येक सोमवार को उद्यान बंद रहता है। अतः सफल निविदाकर्त्ता प्रत्येक सोमवार को वाहन/गोल्फ कार्ट का परिचालन बंद रखेंगे। इसके अतिरिक्ति विशेष परिस्थितिवश यदि उद्यान बंद किया जाता है तो बिना किसी हर्जाना के सफल निविदाकर्त्ता गाड़ी का संचालन बंद रखना होगा। सफल निविदाकर्त्ता के कोई भी कर्मचारी रात्रि में उद्यान में नहीं रहेंगे।

28. कोविड–19 संक्रमण के संदर्भ में भारत सरकार, गृह मंत्रालय तथा राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा। Social distancing एवं सभी मानकों का (मॉस्क, सेनिटाईजर, थर्मल स्कैनिंग, 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों से संबंधित निदेश इत्यादि) अनिवार्य रूप से अनुपालन करना होगा। किसी भी निदेश का उल्लंघन या अनुपालन नहीं करने पर जू प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

29. किसी भी विवाद के निपटारा का न्याय क्षेत्र पटना होगा।

30. निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, को अधिकार होगा कि निविदा की शर्तो के उल्लंघन के आरोप में अथवा एक माह के अग्रिम सूचना पर बिना कारण बताये सफल निविदा को रद्द कर सकते हैं।

31. निविदा प्रपत्र में निविदाकर्त्ता इस बात को प्रमाणित करेंगे कि उन्होंने निविदा के सभी शर्तो को पढ़ा/पढ़वाया और समझा है तथा वे सभी शर्तो को स्वीकार करते हैं।

32. निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी भी निविदा को अस्वीकृत कर दें।

निदेशक।

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, में 05 बैट्रीचालित वाहन (10–12 सीटर) एवं 06 बैट्रीचालित गोल्फ कार्ट (6 सीटर) के परिचालन हेतु वित्तीय बिड का प्रपत्र।

प्रपत्र 'क'

क्रमांक	तकनीकी सूचना	निविदार्त्ता द्वारा समर्पित सूचना	पृष्ठ संख्या
1	निविदादात्ता द्वारा क्रय किए गए निविदा प्रपत्र से संबंधित मनी रसीद की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति। निविदा प्रपत्र वेबसाईट से अपलोड करने की स्थिति में निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में रू० 2000/– का डिमांड ड्राफ्ट।		
2	निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यांन, पटना के पदनाम में रू० 1,00,000/–(रूपये एक लाख) अग्रधन राशि (सत्यंकार राशि) का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट जो पटना में भुगतेय हो।		
3	पैन कार्ड की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।		
4	जी०एस०टी० निबंधन का स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।		
5	विगत दो वर्षों 2020–21 एवं 2021–22 के आयकर रिटर्न की स्वःअभिप्रमाणित छायाप्रति।		
6	किसी पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेट से अभिप्रमाणित परिसम्पति (Capital asset) जो न्यूनतम रू० 50.00 लाख का हो।		
7	पता और पहचान से संबंधित प्रमाण–पत्र की स्वःअभिप्रमाणित छायाप्रति।		
8	राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निविदाकर्त्ता का अभिप्रमाणित हस्ताक्षर।		
9	फर्म के नाम पर निविदा समर्पित करने की स्थिति में निविदाकर्त्ता के लिए फर्म का प्राधिकार–पत्र की मूलप्रति।		
10	सरकारी/गैर सरकारी संस्थान के काली सूची में निविदादाता का नाम दर्ज होने/ न होने संबंधी घोषणा–पत्र।		

निविदाकर्त्ता का हस्ताक्षर

पूरा पताः–

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, में बैट्रीचालित वाहन (10—12 सीटर) एवं बैट्रीचालित गोल्फ कार्ट (6 सीटर) के परिचालन हेतु वित्तीय बिड का प्रपत्र।

प्रपत्र 'ख'

प्रेषक,

नामः—
पिता का नामः—

पत्राचार का पताः—
दूरभाष / मोबाईल संख्या—

सेवा में,

निदेशक,
संजय गाँधी जैविक उद्यान,
पटना।

महाशय,

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में 05 बैट्रीचालित वाहन (10—12 सीटर) तथा 06 बैट्रीचालित गोल्फ कार्ट (6 सीटर) के परिचालन हेतु सरकार को भुगतान किए जाने वाले प्रति माह का अपना दर निम्नवत अर्पित कर रहा हूँः—

वाहन का प्रकार	अर्पित दर प्रति माह	
	अंक में	शब्द में
5 बैट्रीचालित वाहन (10—12 सीटर) तथा 6 बैट्रीचालित गोल्फ कार्ट (6 सीटर)		

1— उक्त पते पर जो भी पत्राचार किया जाएगा, मुझे स्वीकार्य होगा।
2— मैंने निविदा के सभी शर्तों को पढ़ा/पढ़वाया और समझा है तथा मैं सभी शर्तों को स्वीकार करता हूँ।
3— यदि मेरा निविदा स्वीकार किया जाता है तो मैं निविदा शर्त की कंडिका 6 के अनुसार निविदा की स्वीकृति की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर कुल वाहनों के लाईसेंस फी की एक वर्ष की कुल राशि की 25% (पचीस प्रतिशत) राशि जमानत राशि के रूप में जमा करूंगा।
4— मैं निविदा शर्त की 'वित्तीय बिड' में अंकित सभी प्रकार की राशियों का भुगतान करूंगा।

आपका विश्वासी,

घोषणा–पत्र

मैं.. पिता का नाम..ग्राम....

.... पो० .... थाना....................................... जिला....................

........घोषणा करता हूँ कि मैं ....

(विभाग / कार्यालय का नाम) में .... से .... अवधि

तक के लिए .... संचालक हूँ/ था तथा उस

विभाग / कार्यालय अथवा किसी भी कार्य के लिए किसी सरकारी विभाग / कार्यालय द्वारा मुझे

कृष्णचिन्हित किया / नहीं किया गया है।

निविदाकर्त्ता का हस्ताक्षर

तिथिः–

बैट्रीचालित वाहन के संचालन के लिए रूट चार्ट तथा किराया संरचना। संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।

किराया संरचना प्रति ट्रिप (जन्तु प्रक्षेत्र)

समय प्रति ट्रिपः– न्यूनतम – एक घंटा।

प्रति वयस्क – रू० 40/– प्रति शिशु – रू० 20/– तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चे– निःशुल्क	**आरक्षण की स्थिति में प्रति ट्रिप** 10–12 सीटर बैट्रीचालित के लिए – रू० 500/– 06 सीटर बैट्रीचालित के लिए – रू० 300/–

रूट न० 1 : एक ट्रिप (जन्तु प्रक्षेत्र)

प्रारंभ स्थल	गेट न० 1
प्रथम पड़ाव	भेड़िया केज
द्वितीय पड़ाव	लेपर्ड केज एवं चिम्पांजी केज
तीसरा पड़ाव	लायन केज एवं गिद्ध इंक्लोजर
चौथा पड़ाव	टाईगर केज
पाँचवां पड़ाव	भालू केज
छठा पड़ाव	बार्किंग डीयर, हॉग डीयर,
सातवाँ पड़ाव	बर्ड इंक्लोजर, ऑटर इंक्लोजर
आठवाँ पड़ाव	जेबरा इंक्लोजर
नवाँ पड़ाव	हिप्पो इंक्लोजर, लायन टेल्ड मकॉक एवं स्मॉल मॅमल्स केज
दसवाँ पड़ाव	जिराफ इंक्लोजर
ग्यारहवाँ पड़ाव	गैंडा केज
बारहवाँ पड़ाव	हाथी इंक्लोजर
तेरहवाँ पड़ाव	मगर केज
वापसी– चौदहवाँ पड़ाव	घड़ियाल केज, मछलीघर
पन्द्रहवाँ पड़ाव	उजला मोर, मंकी इंक्लोजर
सोलहवाँ पड़ाव	साँपघर
सत्रहवाँ पड़ाव	निशाचर घर
वापस गेट न० 1	

रूट न० 2: एक ट्रिप (जन्तु प्रक्षेत्र)

प्रारंभ स्थल	गेट न० 2
प्रथम पड़ाव	घड़ियाल केज, मछलीघर
द्वितीय पड़ाव	जिराफ इंक्लोजर
तीसरा पड़ाव	गैंडा केज
चौथा पड़ाव	हाथी इंक्लोजर
पाँचवां पड़ाव	मगर केज
वापसी–छठा पड़ाव	हिप्पो इंक्लोजर, लायन टेल्ड मकॉक एवं स्मॉल मॅमल्स केज
सातवाँ पड़ाव	जेबरा इंक्लोजर
आठवाँ पड़ाव	ऑटर इंक्लोजर, बर्ड इंक्लोजर
नवाँ पड़ाव	बार्किंग डीयर, हॉग डीयर
दसवाँ पड़ाव	भालू केज
ग्यारहवाँ पड़ाव	टाईगर केज
बारहवाँ पड़ाव	लायन केज एवं गिद्ध इंक्लोजर
तेरहवाँ पड़ाव	लेपर्ड केज एवं चिम्पांजी केज
चौदहवाँ पड़ाव	भेड़िया केज
पन्द्रहवाँ पड़ाव	निशाचर घर
सोलहवाँ पड़ाव	साँपघर
सत्रहवाँ पड़ाव	उजला मोर, मंकी इंक्लोजर
वापस गेट न० 2	

किराया संरचना प्रति ट्रिप (जन्तु एवं वनस्पति प्रक्षेत्र)

समय प्रति ट्रिपः– न्यूनतम – एक घंटा बीस मिनट।

प्रति वयस्क – रू० 55/– प्रति शिशु – रू० 30/– तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चे– निःशुल्क	**आरक्षण की स्थिति में प्रति ट्रिप** 10–12 सीटर बैट्रीचालित के लिए – रू० 650/– 06 सीटर बैट्रीचालित के लिए – रू० 400/–

रूट न० 1 : एक ट्रिप (जन्तु एवं वनस्पति प्रक्षेत्र)

प्रारंभ स्थल	गेट न० 1
प्रथम पड़ाव	भेड़िया केज
द्वितीय पड़ाव	लेपर्ड केज एवं चिम्पांजी केज
तीसरा पड़ाव	लायन केज एवं गिद्ध इंक्लोजर
चौथा पड़ाव	टाईगर केज, साँपघर
पाँचवां पड़ाव	भालू केज
छठा पड़ाव	बार्किंग डीयर, हॉग डीयर,
सातवाँ पड़ाव	बर्ड इंक्लोजर, ऑटर इंक्लोजर
आठवाँ पड़ाव	जेबरा इंक्लोजर
नवाँ पड़ाव	हिप्पो इंक्लोजर, लायन टेल्ड मकॉक एवं स्मॉल मॅमल्स केज
दसवाँ पड़ाव	जिराफ इंक्लोजर
ग्यारहवाँ पड़ाव	गैंडा केज
बारहवाँ पड़ाव	हाथी इंक्लोजर
तेरहवाँ पड़ाव	मगर केज
चौदहवाँ पड़ाव	घड़ियाल केज, मछलीघर
पन्द्रहवाँ पड़ाव	जू एजुकेशन हॉल एवं 3 डी. थिएटर
सोलहवाँ पड़ाव	मेडिसिनल गार्डेन
सत्रहवाँ पड़ाव	जल उद्यान, शिशु उद्यान
अठारहवाँ पड़ाव	वर्मी कम्पोस्ट यूनिट
उन्नीसवाँ पड़ाव	फर्न हाउस/ऑर्किड हाउस
वापस गेट न० 1	

रूट न० 2 : एक ट्रिप (जन्तु एवं वनस्पति प्रक्षेत्र)

प्रारंभ स्थल	गेट न० 2
प्रथम पड़ाव	घड़ियाल केज, मछलीघर
द्वितीय पड़ाव	जिराफ इंक्लोजर
तीसरा पड़ाव	गैंडा केज
चौथा पड़ाव	हाथी इंक्लोजर
पाँचवां पड़ाव	मगर केज
वापसी–छठा पड़ाव	हिप्पो इंक्लोजर, लायन टेल्ड मकॉक एवं स्मॉल मॅमल्स केज
सातवाँ पड़ाव	जेबरा इंक्लोजर
आठवाँ पड़ाव	ऑटर इंक्लोजर, बर्ड इंक्लोजर
नवाँ पड़ाव	बार्किंग डीयर, हॉग डीयर
दसवाँ पड़ाव	भालू केज
ग्यारहवाँ पड़ाव	टाईगर केज, साँपघर
बारहवाँ पड़ाव	लायन केज एवं गिद्ध इंक्लोजर

कृ०पृ०उ०

तेरहवाँ पड़ाव	लेपर्ड केज एवं चिम्पांजी केज
चौदहवाँ पड़ाव	भेड़िया केज
पन्द्रहवाँ पड़ाव	फर्न हाउस/ऑर्किड हाउस
सोलहवाँ पड़ाव	वर्मी कम्पोस्ट यूनिट
सत्रहवाँ पड़ाव	जल उद्यान, शिशु उद्यान
अठारहवाँ पड़ाव	मेडिसिनल गार्डेन
उन्नीसवाँ पड़ाव	जू एजुकेशन हॉल एवं 3 डी. थिएटर
वापस गेट न० 2	

निदेशक,
संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।